सार समाचार

भगवद्गीता का समूह गायन

उदयपुर (वि.)। भगवद्गीता का समूह गायन सेक्टर 4 स्थित तुलसी निकेतन रेजिडेंशियल स्कूल में 30 नवंबर को हुआ। भगवदगीता के पुरुषोत्तमयोग का संस्कृत में समूह पठन किया गया। विद्यालय के पांचवी कक्षा के छात्र मान्य सिंह राजपूत और कक्षा चौथी की बालिका खुशाली ने प्रार्थना मंत्र के साथ गीता के दो अध्याय का संस्कृत में वाचन किया। विश्व की सबसे बड़ी नि:शुल्क ऑनलाइन कक्षा गीता परिवार से लेवल चार पूर्ण कर चुके हैं। दोनों बच्चों ने संस्कृत में शुद्ध उच्चारण कर विद्यालय के समस्त शिक्षकों और सहपाठियों का मन मोह लिया। इस अवसर पर गीताव्रती संतोष दीदी, सुशीला लाहोटी, आर्ट ऑफ लिविंग की प्रशिक्षिका दिव्या सिंहल और सर्व ब्राह्मण एकता परिषद से नवनीत भट्ट उपस्थित रहे विद्यालय के व्यवस्थापक सत्य प्रकाश ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

जूनियर कबड्डी टीम का कैंप शुरू

उदयपुर (वि.)। जिला कबड्डी संघ द्वारा उदयपुर जिला जूनियर बॉयज एवं गर्ल्स कबड्डी टीम का प्रशिक्षण शिविर आज से गांधी ग्राउंड पर शुरू हुआ। आयोजन सचिव जालम चंद जैन ने बताया 6 दिसंबर को सीकर में होने वाली राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में उदयपुर की बॉयज एवं गर्ल्स की टीम भाग लेगी जिनका प्रशिक्षण शिविर आज जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह खनूजा द्वारा उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि जिला कबड्डी संघ के कोषाध्यक्ष मनीष पटेल, विशिष्ट अतिथि कबड्डी कोच कपिल जैन, पूर्व अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह गहलोत, एडवोकेट भरत कुमावत थे। इस अवसर पर श्यामसुदर शर्मा, सुरेश मेनारिया, गोपाल पुरबिया, मुंशी मोहम्मद सहित कई पूर्व स्टेट नेशनल खिलाड़ी मौजूद थे। आयोजन सचिव के अनुसार दिनांक 5 दिसंबर तक सुबह-शाम दोनों टीम में कड़ी प्रेक्टिस करेंगे।

विधि महाविद्यालय पांच वर्षीय पाठ्यक्रम में फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन

उदयपुर (वि)। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विधि महाविद्यालय के संघटक विधि महाविद्यालय के पाँच वर्षीय बीएएलएलबी पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों द्वारा फ्रेशर्स पार्टी (बार बैंच बैश) आयोजित शनिवार को विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में हुआ। विधि महाविद्यालय के डॉ राजश्री चौधरी,डॉ शिल्पा सेठ ,डॉ प्रियदर्शी नागदा डॉ भाविक पानेरी, डॉ कल्पेश निकावत, डॉ स्नेहा सिंह और अन्य संकाय सदस्य पंकज शंकर लाल मीणा उपस्थित रहे । निर्णायक डॉ. सौरभ मीणा, डॉ अंजली सिंह, एवं डॉ स्नेहा सिंह एवं नवनीत सोलंकी उपस्थित थे। फ्रेशर्स पार्टी में करीब 500 विद्यार्थियों भाग लिया एवं 3 चरणों व एकल नृत्य , गीत. समूह नाटक के आयोजन हुए। फ्रेशर पार्टी की थीम बॉलीवुड से संबंधित रही। कुल 48 प्रतिभागियों ने भाग लिया कार्यक्रम के अंत मे शिक्षकों ने आयोजनकर्ता विद्यार्थियों को सफल आयोजन हेतु बधाई दी एवं इसमें सफल आयोजन के लिए वालंटियर कन्वीनर हर्षित अग्रवाल ,हिमानी शर्मा,अभिषेक रजत चौहान , मयूर जोशी मिस्टर फ्रेशर कृतज्ञ तंबोली रहे। कृतिका शर्मा मिस बेस्ट ड्रेस यशस्वी दशोरा बेस्ट ड्रेस वंश जोशी बेस्ट परफॉर्मेंस खुशी रामेजा रहे।

ज्योति पटेल को मिली पीएचडी की उपाधि

उदयपुर (वि)। उदयपुर की ज्योति पटेल को जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय ने पीएचडी की उपाधि प्रदान की है। ज्योति पटेल ने ग्रामीण महिलाओं का व्यवसाय एवं स्वास्थ्य विषय पर शोध किया है। ज्योति ने यह शोध डॉ. रानी प्रभा सोलंकी के निर्देशन में किया। ज्योति ने अपने शोध के बारे में बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी शिक्षा का अभाव है। 450 महिलाओं पर किए गए सर्वे में पाया कि कई महिलाओं को जागरूकता के अभाव में सरकारी योजनाओं का भी पता नहीं है। वे उनका भी लाभ नहीं ले पातीं, ना ही वो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है।

महिला हिंसा रोको अभियान के तहत रैली

उदयपुर (वि)। विकल्प संस्था की ओर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुंदाली में महिला हिंसा रोको अभियान के तहत रैली निकाली गई। समुदाय जन जागरूकता को लेकर कक्षा 6से 12 के लड़के लड़कियों ने भाग लिया। घरेलू हिंसा नहीं सहेंगे, चुप नहीं रहना है, हिंसा नहीं सहना है, महिला आगे बढ़ रही है, हर कुरीतियों से लड़ रही है, इस तरह के नारे लगाते हुए पूरे गुंदाली गांव में रैली निकाली गई। इस अवसर पर किसी भी रूप में हिंसा महिलाओं पर मंजूर नहीं का संदेश दिया गया। 250 सहभागियों ने भाग लिया। विकल्प संस्था से चंद्रा रावणा, शिव सिंह बल्ला मनीष मेघवाल मौजूद थे।

रंगशाला में आज दिलवाले दुल्हनियां दे जायेंगे का मंचन

उदयपुर (वि.)। पश्चिम क्षेत्र सास्कृतिक केंद्र उदयपुर द्वारा आयोजित मासिक नाट्य संध्या रंगशाला में रविवार को नाटक दिलवाले दुल्हनियां दे जायेंगे का मंचन होगा। पश्चिम क्षेत्र सास्कृतिक केंद्र उदयपुर के निदेशक फुरकान खान ने बताया कि नाटक के लेखक अनुरोध शर्मा तथा निर्देशक सुप्रिया शर्मा है। इस नाटक की कहानी एक विवाहित दपंती राज और सिमरन की नोकझोंक, नफरत और प्रेम पर आधारित हैं। कार्यक्रम में आमजन का प्रवेश नि:शुल्क रहेगा।

जांच में लापरवाही : विदेशी महिला पर गोली चलाने के एक आरोपी को मिली जमानत

उदयपुर. नगर संवाददाता | होटल में शराब पार्टी के दौरान विदेशी महिला को गोली मारने के मामले में अनुसंधान अधिकारी द्वारा गैर जिम्मेदाराना अनुसंधान करने एवं अस्पष्ट एवं अपारदर्शिता पूर्वक किये गये अनुसंधान के चलते कोर्ट ने एक आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिये। साथ ही मामले की एक प्रति पुलिस महानिदेशक व जिला पुलिस अधीक्षक को भेजने के आदेश दिये।

प्रकरण के अनुसार चित्रकूट नगर स्थित होटल रत्नम के मैनेजर भावेश वैष्णव ने गत 8 नवम्बर को रिपोर्ट दर्ज कराई कि अक्षय खूबचंदानी उसके दोस्तों के साथ आया और होटल में शराब पार्टी कर रहे थे। रात डेढ़ बजे एक विदेशी लड़की आई और सीधे अक्षय के 104 नम्बर कमरे में चली गई जहां से वे रेस्टोरेंट में गये और वापस आकर शराब पी। रात्रि 3.40 बजे थाईलेण्ड की युवती को गोली मार दी इस मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आदर्श नगर युनिवरसिटी रोड भुपालपुरा निवासी महिम पुत्र नंदकिशोर चौधरी की ओर से अधिवक्ता संजय गुप्ता ने जमानत का प्रार्थना पत्र पेश किया। उन्होंने तर्क दिया कि मुवक्किल का एफआईआर में नाम नहीं है और किसी तरह की उससे बरामदगी नहीं हुई है। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक पृथ्वीराज तेली ने मामला गंभीर प्रकृति का होना बताया और जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

अपर जिला एवं सेशन न्यायालय क्रम-4 के पीठासीन अधिकारी जितेन्द्र गोयल ने केस डायरी का अवलोकन किया जिसमें पाया कि विदेशी युवती को जान से मारने के लिए गोली चलाने का आरोप है। प्रथम दृष्टया रिपोर्ट नामजद नहीं है। राहुल द्वारा गोली चलाना बताया गया है। पीड़िता के बयान में अभियुक्त के घटना में शामिल होना सिद्ध नहीं हुआ है। मामले में उपयोग में ली पिस्टल भी बरामद नहीं हुई है। यह मामला विदेशी महिला जो कि भारत में ई बिजनेस वीजा के तहत भ्रमण पर आई थी के साथ हत्या के प्रयास एवं लैंगिक उत्पीड़ने से सम्बन्धित है। अनुसंधान अधिकारी ने पीड़िता के बयान महिला अधिकारी से करवाये जाने चाहिए थे लेकिन उनके द्वारा नहीं किये गये। साथ ही जो सामग्री जब्त की गई उसमें भी त्रुटियां रखी गई। जब्तगी पर हस्ताक्षर नहीं है। अनुसंधान अधिकारी ने गैर जिम्मेदारानापूर्वक अनुसंधान किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अनुसंधान अधिकारी की अस्पष्ट एवं अपारदर्शिता कार्यशैली दर्शाता है। जमानत के आदेश की एक प्रति पुलिस महानिदेशक जयपुर एवं जिला पुलिस अधीक्षक को भेजने के आदेश दिये। वहीं आरोपी महिम चौधरी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिये।

जानलेवा हमले के आरोपी को 10 साल की कड़ी कैद

उदयपुर. नगर संवाददाता | शहर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में पुरानी रंजीश के चलते घर के बाहर युवक को जान मारने की नियत से पेट में चाकू घोंपने वाले आरोपी को अदालत ने दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

प्रकरण के अनुसार किशनपोल निवासी ईस्माईल खान पुत्र लाल खां ने सूरजपोल थाने में 23 जनवरी 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि आठ बजे घर के बाहर हो हल्ला होने पर वह बाहर निकला तो देखा कि उसका बेटा सलमान खां (20) गिरा हुआ था। उसके पास आबिद हुसैन पुत्र मंजूर हुसैन व नसीम बानो पत्नी अब्दुल रसीद खड़े थे। उन्होंने बताया कि कच्ची बस्ती सूरजपोल निवासी नासिर पुत्र साजिद ने उसे जान से मारने की नियत से पेट में चाकू मारा। उसे गंभीर घायलावस्था में अस्पताल ले गये। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी नासिर को गिरफ्तार किया। जांच पूर्ण कर कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक वंदना उदावत व संदीप सिंह दहिया ने 16 गवाह व 27 दस्तावेज प्रदर्शित किये। चश्मदीद गवाहों ने अभियोजन कहानी का समर्थन किया, वहीं चिकित्सकीय साक्ष्य एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर अपर जिला एवं सेशन न्यायालय क्रम-3 के पीठासीन अधिकारी प्रवीण कुमार ने अभियुक्त नासिर को दोषी करार देते हुए भादसं की विभिन्न धाराओं में दस वर्ष का कठोर कारावास व एक लाख दस हजार पांच सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

नांदेश्वर से गोगुन्दा सड़क का होगा कायाकल्प

उपमुख्यमंत्री दीयाकुमारी की पहल पर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने दी स्वीकृति

उदयपुर (वि)। प्रदेश में परिवहन सुविधाओं को सुदृढ करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। उप मुख्यमंत्री दीयाकुमारी ने प्रदेश की विभिन्न सड़कों एवं नवीन वृहद परियोजनाओं के विकास में सहयोग के लिए गत दिनों केन्द्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी।

इसके पश्चात केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 1154.47 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है। इसमें उदयपुर जिले में नांदेश्वर - गोगुन्दा सड़क भी शामिल हैं। केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) से राज्य सड़कों के विकास के लिए तथा सेतु बंधन योजना के तहत केन्द्र सरकार की ओर से स्वीकृत राशि से राज्य की 748.80 कि.मी की सड़कों का चौड़ाई करण एवं सुदृढीकरण तथा कोटा में कालीसिंध नदी पर हाईलेवल ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। उदयपुर जिले में गोगुन्दा-मजावदा-उबेश्वर-धार-रामपुरा-सिसारमा-नयाखेड़ा-नांदेश्वर राष्ट्रीय राजमार्ग 58ई तक कुल 39 किलोमीटर लंबी सड़क के सुदृढीकरण के लिए 65.25 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लिए यह महत्वपूर्ण सौगात है।

खनिज खोज के लिए मिली ए श्रेणी की मान्यता

उदयपुर (वि)। *भारत सरकार खान मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीली अर्थ व्यवस्था के अंतर्गत 28 नवंबर को दिल्ली स्थित होटल अशोक में आयोजित समारोह में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी के मुख्य आतिथ्य में समुद्र तटीय खनिजों के प्रथम भाग की नीलामी का उद्घाट्न किया गया। जिसमें उदयपुर की एन्वायरोग्रीन कंसल्टेंट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को खनिज के लिए ए श्रेणी मान्यता दी गई। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर यशवंत पालीवाल ने बताया कि 28 तारीख को दिल्ली में आयोजित समारोह में भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा अवगत किया गया कि नीली अर्थ व्यवस्था से अभिप्राय समुद्री संसाधनों का जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल करना, महासागरों एवं तटीय इलाकों में आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक समानता के बीच संतुलन बनाना है के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। उद्घाट्न समारोह के दौरान उदयपुर स्थित निजी संस्था मेसर्स एनवायरोग्रीन कंसल्टेंट्स (इंडिया) प्रा. लि. को विभिन्न खनिजों की खोज हेतु श्रेणी ए में मान्यता का प्रमाण पत्र मिला। संस्था के प्रतिनिधि प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर डॉ. नीरज श्रीवास्तवा, सदस्य शिव कुमार लखारा, चेतन चौधरी एवं दीपिका पात्रा ने सम्मान ग्रहण किया।

डाइट प्रशिक्षण में शिक्षकों ने सीखे 21वीं सदी के हुनर

उदयपुर (वि.)। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट उदयपुर में आयोजित में21वीं सदीं के कौशल एवं व्यावसायिक शिल्प आधारित दो दिवसीय प्रशिक्षण में शिक्षकों ने 21 वीं सदी के हुनर सीखे। डाइट प्रिंसिपल डीईओ चन्द्रशेखर जोशी के अनुसार आरएससीआरटी उदयपुर द्वारा जारी डाइट पंचांग के अनुसरण में संस्थान के कार्यानुभव प्रभाग द्वारा प्रभागाध्यक्ष डॉ जगदीश कुमावत के निर्देशन में आयोजित प्रशिक्षण में उदयपुर जिले के विभिन्न ब्लॉक के शिक्षकों ने उपस्थित रह कर 21वीं सदीं के विभिन्न कौशल एवं व्यावसायिक शिल्प आधारित जानकारी प्राप्त की। प्रभागाध्यक्ष डॉ जगदीश कुमावत ने बताया कि 29 व 30 नवम्बर को आयोजित प्रशिक्षण में विषय विशेषज्ञ देवीलाल ठाकुर, राज्य संदर्भ व्यक्ति हेमलता कुमावत, चेतन औदिच्य एवं पीरामल फाउडेशन प्रतिनिधि स्वाति द्वारा पेंटिंग, मृण शिल्प,

बागवानी, हेल्थ एंड फिटनेस, दूरसंचार, निर्माण कार्यकर्ता, ऑटोमेटिव, हेल्थ केयर, यात्रा पर्यटन, बुनाई व सिलाई, प्लंबर, कंप्यूटर ऑपरेटर, डेरी, ब्यूटीशियन, बढ़ई, कुकिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि विषयों से संबंधित व्यावसायिक कौशलों की जानकारी सांझा की गई। प्रशिक्षण में आशा खाब्या, ऋतु चंदानी, रविदत्त शर्मा, पीरामल फाउंडेशन की अर्चना कुमारी तथा डाइट की कनिष्ठ सहायक नीता सांखला आदि ने भी सहयोग किया।

भव्य भजन संध्या एवं स्वर्ण कलश स्थापना बुधवार को

उदयपुर (वि.)। वारी समाज के वारीयों की घाटी स्थिति श्रीरघुनाथजी मंदिर पर श्रीरघुनाथजी भगवान सेवा समिति वारी समाज उदयपुर द्वारा बुधवार को भव्य कलश की पुन: स्थापना की जाएगी। मंगलवार को भव्य भजन संध्या का आयोजन होगा, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायकों को आमंत्रित किया जायेगा। बुधवार प्रात: 6 बजे से कलश स्थापना के कार्यक्रम प्रारंभ होंगे जिसमें मंदिर परिसर में हवन का आयोजन किया जायेगा जो 11.15 बजे तक चलेगा एवं उक्त हवन के पश्चात् मंदिर पर स्वर्ण कलश की पुन: स्थापना पण्डितों द्वारा पूजन व मंत्रोंच्चारण द्वारा करवाई जायेगी। इसमें वारी समाज, उदयपुर के समाज के पुरूषों व महिलाओं तथा बच्चों की उपस्थिति रहेगी। साथ ही मेवाड़ क्षेत्र में व उदयपुर के आस पास में रहने वाले वारी समाज के समाज सदस्य आमेट, नाथद्वारा, कांकरोली व आदि स्थानों से समाज सदस्यों की भागीदारी रहेगी। यह मंदिर अति प्राचीन है। उक्त मंदिर की बनावट वास्तु अनुरूप एवं श्री रघुनाथजी भगवान की मूर्ति काले पाषण की मंदिर के गर्भ गृह में विराजमान है। इस आयोजन को लेकर मंदिर परिसर पर विद्युत रोशनी की जाएगी एवं विद्धानों पण्डितों द्वारा उक्त कलश स्थापना करवाई जायेगी। उक्त जानकारी आयोजन समिति के कुंजबिहारी रावत एवं अनिल वारी द्वारा दी गई।

वैभवी मेहता ने राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में रजत पदक जीता

उदयपुर (वि.)। सेंट मेरीज न्यू फतेहपुरा की छात्रा वैभवी मेहता ने 68वीं राष्ट्रीय विद्यालयी बास्केटबॉल प्रतियोगिता में रजत पदक जीत कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह प्रतियोगिता 22 से 26 नवम्बर तक पटियाला पंजाब में आयोजित की गई थी। यह पहली बार है जब राजस्थान बालिका बास्केटबॉल टीम ने इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। विद्यालय के बास्केटबॉल कोच नरेंद्र सिंह चौहान का सहयोग रहा है।

YES BANK यस बैंक लिमिटेड

शाखा कार्यालय: चतुर्थ मंजिल, आनन्द भवन, प्लॉट नं. 307, संसार चन्द्र रोड, चौकड़ी हवेली, जयपुर. राज. -302001
प्रधान कार्यालय: यस बैंक भवन, पश्चिमी एक्सप्रेस हाइवे के सामने, सान्ताक्रूज (पूर्व), मुम्बई-400055

परिशिष्ट IV (देखें नियम 8 (1) अचल सम्पत्ति हेतु कब्जा सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता यस बैंक लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 के नियम 54) और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 13 (12) के नियम (3) अधिनियम 2002 एवं सपठित नियमों के नियम के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में मांग सूचना दिनांक 28 अक्टूबर 2022 प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002, के नियम 13 (2) के अधीन निर्गमित की जिसमें मांग करते हुए (1) श्री जगदीश सेन मकान नं. 9-एच-53, पटेल नगर, मीरा सर्किल के पास, भीलवाडा, राज. 311001 यहां भी:- एम.पी.ओ. चन्द्रास, सरकारी स्कूल के पीछे, मण्डल भीलवाडा, राज. 311402, यहां भी जी-4-5, बिलियां विस्तार चतुर्थ रीको भीलवाडा, राज. 311001, यहां भी प्लॉट नं. 46, आराजी नं. 1767/4, राजस्व ग्राम आतून, अरिहंत विहार, भीलवाडा, राज. 311001 (ऋणी एवं बंधककर्ता) (2) श्रीमती मीना कुमारी निवासी- एम.पी.ओ. पोस्ट चन्द्रास, तहसील मण्डल, भीलवाडा, राज. 311402, यहां भी- मकान नं. 9-एच-53, पटेल नगर, मीरा सर्किल के पास, भीलवाडा, राज. 311001, यहां भी प्लॉट नं. 46, आराजी नं. 1767/4, राजस्व ग्राम आतून, अरिहंत विहार, भीलवाडा, राज. 311001 (गारंटर एवं बंधककर्ता) से ऋण खाता संख्या AFH00330049310 2 से नोटिस में वर्णित राशि रूपये 5,80,501.81/- (पांच लाख अस्सी हजार पांच सौ एक रूपये एवं इक्यासी पैसे मात्र) 18-अक्टूबर-2022 तक आगे का ब्याज एवं कुल भुगतान होने तक की राशि को इस नोटिस की प्राप्ति की दिनांक से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिये कहा गया था।

ऋणी एवं गारंटर के वह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणी/बंधककर्ता, गारंटर को तथा सामान्यजन को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) तथा सपठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 26 नवम्बर 2024 को ग्रहण कर लिया है।

ऋणी/सहऋणी/बंधककर्ता को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्ति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई व्यवहार रूपये 5,80,501.81/- (पांच लाख अस्सी हजार पांच सौ एक रूपये एवं इक्यासी पैसे मात्र) 18-अक्टूबर-2022 तक तथा आगे का ब्याज एवं कुल भुगतान होने तक की राशि यस बैंक के प्रभार के अधीन होगा।

सुविधि किया जाता है कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (8) के तहत जहां सुरक्षित ऋणदाता द्वारा किए गए सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ सुरक्षित ऋणदाता की बकाया राशि सुरक्षित ऋणदाता को पहले किसी भी समय प्रस्तुत की जाती है। सार्वजनिक नीलामी/निविदा/निजी संधि के लिए नोटिस के प्रकाशन की तारीख, सुरक्षित संपत्ति को बेचा या स्थानांतरित नहीं किया जाएगा और उस सुरक्षित संपत्ति के हस्तांतरण या बिक्री के लिए कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।

स्थावर सम्पत्ति का विवरण

संपत्ति के सभी अभिन्न अंग स्थित प्लॉट नं. 46, आराजी नं. 1767/4, राजस्व ग्राम आतून, अरिहंत विहार, भीलवाडा, राज. क्षेत्रफल 75.83 वर्गगज जिसकी सीमाएं:
पूर्वः प्लॉट नं. 47, पश्चिम: प्लॉट नं. 45
उत्तरा: रोड, दक्षिण: अन्य आराजी

दिनांक: 26.11.2024
स्थान: भीलवाडा
प्राधिकृत अधिकारी
यस बैंक लिमिटेड

पेसिफिक के विज्ञान संकाय में जगदीश चंद्र बसु की जयंती मनाई

उदयपुर (वि)। पेसिफिक विश्वविद्यालय के पेसिफिक कॉलेज ऑफ़ बेसिक एंड एप्लाइड साइंसेज द्वारा नवंबर 30 को भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु की जयंती मनाई गई इस अवसर पर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रो. हेमंत कोठरी ने विज्ञान के क्षेत्र में उनके द्वारा किये गए कार्यों को याद किया तथा वैज्ञानिक सोच विकसित करने की प्रेरणा दी, कार्यक्रम की शुरुआत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकाय के चेयरमैन प्रो. दिलेन्द्र हिरन ने वायरलेस संचार और इलेक्टोफिजियोलॉजी के क्षेत्र में सर डॉ. जगदीश चंद्र बसु का योगदान बताते हुए प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया।

तत्पश्चात विज्ञान संकाय के डीन प्रो. रामेश्वर आमेटा ने बताया कि जगदीश चंद्र बसु पादपों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे, जिन्होंने पौधों में वृद्धि मापने का उपकरण क्रेस्कोग्राफ का बीसवीं सदी की शुरुआत में आविष्कार किया। कार्यक्रम में छात्रों ने बड़ी संख्या में भाग लिया एवं सर जगदीश चंद्र बसु के पादप जगत में योगदान एवं सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी को पोस्टर, पॉवरपॉइंट प्रस्तुति एवं भाषण के माध्यम से अवगत किया। संचालन डॉ राखी मेहता एवं डॉ नरेश मेनारिया ने किया। अंत में डॉ पारस टांक ने धन्यवाद ज्ञापित किया। संकाय सदस्य उपस्थित रहे जिन्होंने छात्रों को जगदीश चंद्र बसु द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों से अवगत कराया।

500 ग्राम गांजे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार

उदयपुर। बड़गांव थानाधिकारी पूरणसिंह ने बताया कि सूचना के आधार पर थूर से बडी जाने वाली लिंक रोड के किनारे से आजाद पुत्र राधेश्याम निवासी हनुमान मंदिर के पास थूर को गिरफ्तार कर उसके पास से 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया।

JM FINANCIAL

जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट पहचान संख्या: U67190MH2007PLC74287
पंजीकृत कार्यालय: 7वीं मंजिल, सेनजीं, अप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई 400025

संपर्क व्यक्ति : 1. पुलित बोहरा- 9413746022, 2. रोहन सावंत- 9833143013, 3. ज्योति सावंत- 022 - 6224 1676

ई-नीलामी बिक्री सूचना - आगामी बिक्री

पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('सरफेसी अधिनियम') की धारा 5 (1) (बी) के अंतर्गत सभी अधिकारों, शीर्षक और ब्याज के साथ ऋण (नीचे उल्लिखित ऋणों सहित) का एक पूल सौंपा है। दिनांक 29 मार्च, 2023 के एक अलाइनमेंट समझौते ('अलाइनमेंट एग्रीमेंट') के माध्यम से जेएमएफएआरसी (जेएम) (जिसे यहां असाइनी के रूप में संदर्भित किया गया है) के पक्ष में जेएमएफएआरसी-अरण्य-ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य कर रहा है। यह सूचित किया जाता है कि पीसीएचएफएल को असाइनमेंट/सेवा अनुबंध के तहत सभी परिचालन और प्रक्रिया प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए सेवा प्रदाता/संग्रह एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत और नियुक्त किया गया है।

उधारकर्ता/ऋणकर्ताओं से देय राशि की वसूली के लिए **सरफेसी अधिनियम, 2002** के तहत सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित सुरक्षित परिसंपत्ति का कब्जा लेने के अनुसरण में, नीचे वर्णित अचल संपत्ति की खरीद के लिए नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जो कब्जे में है, **'जहां है जैसा है' के आधार पर, 'जो है जैसा है' के आधार पर और 'जो कुछ भी है'** के आधार पर, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

कर्ज कोड/सास्या/ कर्जदार/ सह-कर्जदार / गारंटर	मांग सूचना दिनांक और राशि	संपत्ति का पता -अंतिम	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि जमा (ईएमडी) (आरपी का 10%)	बकाया राशि (22.11.2024)
ऋण कोड संख्या: 09000005651, भीलवाड़ा (सास्या), भागु राम (उधारकर्ता), सुमन (सह-उधारकर्ता 1)	दिनांक: 27-05-2021, रु. 6,80,540/-, (रु. छह लाख अस्सी हजार पांच सौ चालीस मात्र)	संपत्ति का पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसकी सीमा इस प्रकार है:- प्लॉट नंबर एफ 148 आराजी नंबर 159 2, अरिहंत विहार, राजस्व ग्राम आटून, भीलवाड़ा, राजस्थान- 311001 सीमाएं:- उत्तर: रोड दक्षिण: प्लॉट नंबर एफ-161 पूर्व: प्लॉट नंबर एफ-147 पश्चिम: प्लॉट नंबर एफ-149	रु.9,32,000/- (रु. नौ लाख बत्तीस हजार मात्र)	रु. 93,200/-, (रु. तिरानबे हजार दो सौ मात्र)	रु. 10,81,594/-, (रु. दस लाख इक्यासी हजार पांच सौ चौरानबे मात्र)

ई-नीलामी की तिथि 08-01-2025, सुबह 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ),
बोली जमा करने की अंतिम तिथि: 07-01-2025, शाम 04:00 बजे से पहले।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया प्रदानित लिंक https://www.jmfinancialarc.com/Home/Assetsforsale एवं https://www.bankauction.in देखें।

सरफेसी अधिनियम के तहत उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को वैधानिक 30 दिन की बिक्री सूचना

उपर्युक्त उधारकर्ता/गारंटर को सूचित किया जाता है कि वे धारा 13(2) में उल्लिखित राशि नीलामी की तिथि से पूर्व तक अर्जित ब्याज सहित अदा करें, अन्यथा संपत्ति नीलाम/बेच दी जाएगी तथा यदि कोई बकाया राशि होगी तो उसे उधारकर्ता/गारंटर से ब्याज व लागत सहित वसूल किया जाएगा।

दिनांक : 01 दिसंबर, 2024
स्थान : राजस्थान
हस्ता./- (प्राधिकृत अधिकारी)
(अरण्य - ट्रस्ट)